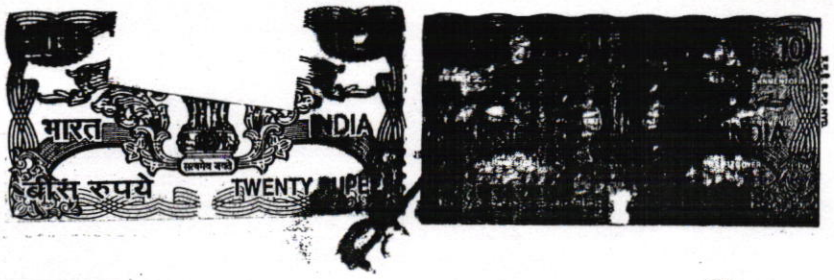

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू.रा./2018/1740

प्र.क्रं.

प्रेमचंद पिता मोतीलाल जी माली
उम्र 48 वर्ष धंधा खेती
निवासी – टिगरिया, तहसील व जिला मंदसौर ——आवेदक

विरूद्ध

1 गंगाबाई पति मोतीलाल जी माली उम्र 75 वर्ष,

2 बद्रीलाल पिता मोतीलाल माली उम्र 55

निवासी – टिगरिया तहसील व जिला मंदसौर ——विपक्षी / आपत्तिकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां.संहिता विरूद्ध तहसीलदार मंदसौर जिला मंदसौर म.प्र. द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.01.2018 से परिवेदित होकर।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र निम्नानुसार हैं:–

!! प्रकरण के तथ्य !!

01. यह कि आवेदक द्वारा म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा 109 व 110 के तहत् ग्राम टिगरिया तहसील जिला मंदसौर की भूमि का कृषि खाता नंबर 181 वर्ष 2013–14 रकबा 0.860 हेक्टेयर भूमि के वसीयत दिनांक 09.09.2012 के आधार पर नामांतरण किया जाने हेतु तहसीलदार महोदय, मंदसौर के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो कि प्रकरण कमांक 303 / अ–6 / 15–16 पर संधारित होकर कार्यवाही प्रारंभ की गई।

02 यह कि आवेदक को मोतीलाल पिता पोखर जी जाति माली द्वारा दिनांक 09.09.2012 को चरण 1 में वर्णित कृषि खाते की वसीयत की गई। उक्त वसीयतकर्ता आवेदक के पिता थे व जीवन पर्यन्त आवेदक के साथ ही निवासरत् रहें, आवेदक द्वारा ही उनकी सेवाचाकरी व अस्वस्थ होने पर चिकित्सा उपचार करवाया गया था। इससे प्रसन्न होकर आवेदक को उक्त कृषि खाते की वसीयत की गई।

03. यह कि प्रकरण की कार्यवाही में विलंब से आपत्ति विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत की गई। जो कि अभिलेख पर ली जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अगले प्रकम पर सुनिश्चित किया गया।

4. यह कि प्रकरण में आवेदक को अपनी वसीयत के साक्षी जो कि महत्वपूर्ण साक्षी हैं कि साक्ष्य कराना आवश्यक होने से आवेदक के

XXIX(a)-BR(H)-11

(141)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1740

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	